

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 361/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 15.09.2026

थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़

- ☐ तीन वर्ष से अधिक समय से फरार ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना में था वांछित, गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने
- ☐ थाना जीयनपुर पुलिस, स्वाट टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में चंगईपुर तिराहा से हुई गिरफ्तारी

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.2022 को वादिनी श्रीमती स्वेता सिंह निवासी पनशब्दा, थाना जीयनपुर द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर देकर अभियुक्तगण सर्वेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह एवं विकाश उर्फ अभिषेक पुत्र कैलाश सिंह द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में रखे आभूषण, बर्तन एवं रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 440/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त विकाश उर्फ अभिषेक के कब्जे से ₹20,024/- की बरामदगी होने पर मुकदमे में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्त सर्वेश सिंह गिरफ्तारी से लगातार बचता रहा। न्यायालय में उपस्थित न होने पर दिनांक 31.12.2023 को उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गयी तथा धारा 457/380/411 भादवि में चालान मफरूरी किया गया। अभियुक्त की लगातार फरारी को देखते हुए दिनांक 07.09.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उसकी गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.09.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस, स्वाट टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा ₹25,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सर्वेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी पनशब्दा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को चंगईपुर तिराहा से समय करीब 10:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना रौनापार के मु0अ0सं0 427/2022 धारा 363/366 भादवि में भी वांछित है, जिसकी विवेचना थाना एएचटीयू जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 98/2022 धारा 457/380/411 भादवि, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 440/2022 धारा 457/380/411 भादवि, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 74/2023 धारा 174ए भादवि, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 427/2022 धारा 363/366 भादवि, थाना रौनापार, आजमगढ़, जिसकी विवेचना थाना एएचटीयू द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर
हे0का0 संजय सिंह, सर्विलांस सेल
हे0का0 अखिलेश चौधरी, स्वाट टीम
हे0का0 उपेन्द्र सिंह चन्देल, स्वाट टीम
रि0का0 विशाल पाण्डेय, थाना जीयनपुर

□ थाना देवगांव व थाना निजामाबाद पुलिस की कार्रवाई में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री वायरल करने के मामलों में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना देवगांव पुलिस ने किशोरी के यौन शोषण के अभियुक्त तथा थाना निजामाबाद पुलिस ने दुष्कर्म एवं नाबालिग से सम्बन्धित अश्लील सामग्री वायरल करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

□ थाना निजामाबाद का वांछित अभियुक्त पुणे (महाराष्ट्र) से ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया, तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव एवं थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा अलग-अलग अभियोगों में कुल 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

01. थाना देवगांव-

वादी द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र लालबिहारी राजभर निवासी भोजपुर, थाना देवगांव, आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया गया। तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 322/2026, धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व धारा 5(ल) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त सूरज राजभर को उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराह हे0का0 शिवप्रकाश यादव व रि0का0 पंकज वर्मा द्वारा दिनांक 15.09.2026 को समय करीब 09:10 बजे पल्हना तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

02. थाना निजामाबाद-

वादी द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रत्नेश अवस्थी पुत्र ओमकार अवस्थी, उम्र करीब 44 वर्ष द्वारा नाबालिग पुत्री के सम्बन्ध में अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी, फोटो/वीडियो आदि सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने तथा परिवार को बदनाम करने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 193/2026, धारा 352, 351(3) बीएनएस व धारा 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 11/13 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

मुकदमे में वांछित अभियुक्त रत्नेश अवस्थी को प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र यादव व का0 शाश्वत त्रिपाठी द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 16:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को दिनांक 13.09.2026 को न्यायालय पुणे में प्रस्तुत कर दिनांक 15.09.2026 तक का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, जिसके उपरान्त अभियुक्त को आजमगढ़ लाया गया।

03. थाना निजामाबाद-

वादी द्वारा दिनांक 13.09.2026 को थाना निजामाबाद पर तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री खेत की तरफ शौच के लिए गयी थी, तभी पहले से घात लगाकर बैठे अभियुक्त आकाश पुत्र पूरेधी नट निवासी ग्राम गंधुवई, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ द्वारा उसका मुंह दबाकर बाजरे के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 228/2026, धारा 64(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

मुकदमे में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र पूरेधी नट, उम्र करीब 19 वर्ष को प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव मय हमराह का0 मोहन मौर्य, का0 सचिन सरोज व म0का0 ममता यादव द्वारा दिनांक 14.09.2026 को समय करीब 14:50 बजे गंधुवई मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

□ थाना बरदह व थाना बिलरियागंज पुलिस की कार्रवाई में हत्या के प्रयास एवं चोरी के मामलों में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना बरदह पुलिस ने पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

□ थाना बिलरियागंज पुलिस ने तीज के अवसर पर मंदिर में महिला के गले से सोने की चेन छीनने वाली अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, चेन बरामद

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह एवं थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

01. थाना बरदह-

वादी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि दिनांक 10.09.2026 को उसका भाई मोटरसाइकिल से राजागंज बाजार जा रहा था। राजागंज बाजार से चौकी गांव के मध्य चौराहे के पास पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उसे रोककर गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी तथा अभियुक्त **करन उर्फ भोला गौतम पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम कुम्भ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** द्वारा लोहे की पाइप से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

इस सम्बन्ध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 302/2026, धारा 109(1), 352, 351(3), 115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमे में वांछित अभियुक्त **करन उर्फ भोला गौतम, उम्र करीब 20 वर्ष को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह** द्वारा दिनांक 15.09.2026 को समय करीब 13:10 बजे जिवली तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया।

02. थाना बिलरियागंज-

वादी द्वारा थाना बिलरियागंज पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.09.2026 को तीज पर्व के अवसर पर बड़िहारी शिव मंदिर में पूजा के दौरान एक महिला द्वारा उसके साथ मौजूद महिला के गले से सोने की चेन छपट्टा मारकर तोड़ ली गयी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सहायता से महिला को पकड़ लिया गया तथा उसकी तलाशी में चोरी की गयी सोने की चेन बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 233/2026, धारा 304/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता **रीमा कुमारी पत्नी बीनो, निवासी बसखरी, जनपद अम्बेडकर नगर को उ0नि0 संतोष कुमार पाठक मय हमराह पुलिस टीम** द्वारा दिनांक 14.09.2026 को समय करीब 22:26 बजे बड़िहारी मंदिर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से एक अदद सोने की चेन बरामद की गयी।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।